भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

22.07.2026 के

तारांकित प्रश्न सं. 52 का उत्तर

गति शक्ति कार्गो टर्मिनल

***52. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायलू:**
श्री विजय कुमार दूबे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों (जीसीटी) के विकास में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और देश भर में कितने टर्मिनलों को आरंभ किया गया है और कितने कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) इन टर्मिनलों से कौन-कौन सी प्रमुख वस्तुएं और औद्योगिक क्षेत्र लाभान्वित हो रहे हैं और माल ढुलाई पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में तुम्मलाचेरुवु गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के प्रचालन की वर्तमान स्थिति और माल ढुलाई का ब्यौरा क्या है तथा इससे स्थानीय उद्योगों, कृषि और संभार तंत्र को क्या लाभ हुए हैं;

(घ) राजस्थान में विकसित गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों के स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान विशेषकर आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले, ओडिशा के क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के नरकटियागंज, राजस्थान और आस-पास के खनिज और औद्योगिक गलियारों में गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों के लिए किन्हीं नए स्थानों को मंजूरी दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन टर्मिनलों का माल ढुलाई क्षमता, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, संभार तंत्र दक्षता तथा खनिजों और औद्योगिक वस्तुओं की विशेषकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से ढुलाई पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 22.07.2026 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न सं. 52 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): निजी निवेश के माध्यम से कार्गो टर्मिनलों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, 'गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)' नीति शुरू की गई है। गति शक्ति टर्मिनलों की अवस्थिति के संबंध में उद्योग से प्राप्त होने वाली मांग, कार्गो यातायात की क्षमता, रेलवे अवसंरचना की उपलब्धता और क्षेत्र की समग्र संभार तत्र संबंधी क्षमता के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

अभी तक, 142 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों (जीसीटी) को कमीशन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 310 अतिरिक्त स्थानों पर गति शक्ति टर्मिनलों के विकास के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) प्रदान किया गया है। कमीशन किए गए 142 गति शक्ति टर्मिनलों की अनुमानित माल सम्हलाई क्षमता प्रति वर्ष 224 मिलियन टन (एमटीपीए) है। इस नीति के अंतर्गत इन गति शक्ति टर्मिनलों के माध्यम से लगभग 10,000 करोड़ रु. का निजी निवेश जुटाया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान इन गति शक्ति टर्मिनलों में 146 मिलियन टन (एमटी) माल यातायात की सम्हलाई की गई।

गति शक्ति टर्मिनलों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

आंध्र प्रदेश : कमीशन किए गए गति शक्ति टर्मिनल - 05

क्र.सं.	सेवित किए जाने वाले स्टेशन/स्थान	जिला
1	नक्कनदौड्डी	नक्कनदौड्डी
2	तुम्मलचेरूवु	गुंटूर
3	कृष्णपट्टणम	नेल्लूर
4	जग्गय्यपेट	कृष्णा
5	संजामला	नंदयाल

उपर्युक्त के अलावा, 14 स्थानों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में तुम्मलचेरूवु में दिनांक 31.01.2023 को एक गति शक्ति टर्मिनल को पहले ही कमीशन किया जा चुका है। वर्ष 2025-26 के दौरान इस स्थान पर 1.214 मिलियन टन (एमटी) माल यातायात की सम्हलाई की गई । इसके अलावा, इस क्षेत्र में एक और गति शक्ति टर्मिनल निर्माणाधीन है। इन टर्मिनलों से उद्योग की माल प्रबंधन क्षमता में सुधार होगा और पलनाडु जिला, आंध्र प्रदेश से भारत के विभिन्न गंतव्यों तक थोक सीमेंट, क्लिंकर, खनिज, औद्योगिक माल और अन्य पण्यों के कुशल, विश्वसनीय और किफायती परिवहन को सुगम बनाया जाएगा तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

राजस्थानः कमीशन किए गए गति शक्ति टर्मिनल - 10

राजस्थान :

क्र.सं.	सेवित किए जाने वाले स्टेशन/स्थान	जिला
1	कैरला	पाली
2	मारवाड़ मुंडावा	नागौर
3	खेमली	उदयपुर
4	भूपल सागर	चित्तौड़गढ़
5	सानू	जैसलमेर
6	हनवंत	जोधपुर
7	सुंडलक	बारण
8	माण्डलगढ़	भीलवाड़ा
9	न्यू सराधना	अजमेर
10	हिरनोदा	जयपुर

उपर्युक्त के अलावा, 15 स्थानों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

ओडिशाः कमीशन किए गए गति शक्ति टर्मिनल - 12

क्र.सं.	सेवित किए जाने वाले स्टेशन/ स्थान	जिला
1	पारादीप	जगतसिंहपुर

2	पारादीप	जगतसिंहपुर
3	केछोबाहाल-लाइकारा के बीच	झारसुगुडा
4	जाजपुर केन्दुझरगढ़ रोड	जाजपुर
5	ब्रजराजनगर	झारसुगुड़ा
6	मच्छापर	कटक
7	बरपाली रोड	सुन्दरगढ़
8	सोगरा	संबलपुर
9	बृन्दामल	झारसुगुड़ा
10	जाखपुरा	जाजपुर
11	बोंडामुंडा जं.	सुंदरगढ़
12	पारादीप	जगतसिंहपुर

उपर्युक्त के अलावा, 36 स्थानों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

केन्दुझरगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के पर्जनपुर (पीआरएनआर) में गति शक्ति टर्मिनल के विकास के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

बिहारः कमीशन किए गए गति शक्ति टर्मिनल - 05

क्र.सं.	सेवित किए जाने वाले स्टेशन/स्थान	जिला
1	बरौनी-गढ़हरा	बेगूसराय
2	खुदीराम बोस पूसा	समस्तीपुर
3	जोगियारा	दरभंगा
4	पसराहा	खगड़िया
5	चौसा	बक्सर

उपर्युक्त के अलावा, 08 स्थानों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

वर्तमान में, नरकटियागंज में गति शक्ति टर्मिनल के निर्माण के संबंध में उद्योग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पण्यों, जिनमें सीमेंट, स्टील, खाद्यान्न, उर्वरक, कोयला, फ्लाई ऐश, खनिज, कंटेनर, ऑटोमोबाइल, कृषि उत्पाद और अन्य थोक तथा गैर-थोक पण्य शामिल हैं, का परिवहन किया जाता है। इस नीति के अंतर्गत बेहतर रेल संपर्कता और आधुनिक कार्गो सम्हलाई अवसंरचना मुहैया कराए जाने से सीमेंट, इस्पात, ऊर्जा, खनन, कृषि, संभार तंत्र और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को लाभ पहुंचा है। गति शक्ति टर्मिनलों को विकसित करने से तीव्र और अधिक कुशल लदान/उतराई के द्वारा रेल माल परिवहन का संवर्धन किया गया है, आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के संभार तंत्र की लागत में कमी आई, माल डिब्बों के फेरों में सुधार हुआ तथा माल परिवहन को सड़क मार्ग से रेल मार्ग पर मोडल शिफ्ट को सुगम बनाया गया है, जिससे रेल आधारित संभार तंत्र की समग्र दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है।

गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) नीति के द्वारा उत्पादन और उपभोग केंद्रों के निकट आधुनिक मल्टीमोडाल कार्गो टर्मिनलों का विकास किया गया है, जिससे स्थानीय उद्योगों, कृषि उत्पादों और अन्य पण्यों के लिए रेल संपर्कता में सुधार हुआ है। इस नीति के अंतर्गत भंडारण, भंडार कक्षों, शीतगृहों और अन्य मूल्य वर्धित संभार तंत्र संबंधी इकाइयों का निर्माण किया गया है। इससे स्थानीय उद्योगों और किसानों की प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी हुई है तथा इसके साथ ही रोजगार सृजन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास हेतु प्रोत्साहन मिला है।
